

आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, जोधपुर  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & C. Ex./ST, JODHPUR  
जी-105, न्यू इण्डस्ट्रीयल एरिया बासनी, डीजल शेड के पास, जोधपुर-342003  
G-105, NEW INDUSTRIAL AREA BASNI, NEAR DIESEL SHED, JODHPUR-342003

\*\*\*\*\*

फा.सं.: 11(03)03/स्था./जेडीआर/2022/

दिनांक 25.08.2022

स्थापना आदेश संख्या : 16/2022


दिनांक : 25.08.2022

कार्यालय मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 65/2022 दिनांक 24.08.2022 के तहत इस आयुक्तालय को आवंटित निम्नलिखित निरीक्षकों का पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर किया जाता है:-

S. No.	Name of Officer S/Sshri	From	To
1	Arjun Lal Ratiwal	On joining	LAW,CERA, SRC,AUDIT,TAR, CGST Hqr., Jodhpur
2	Yogesh Agrawal	On joining	AE, CGST Hqr., Jodhpur
3	Jaivardhan Singh	On joining	CGST Range-17, Pali (Div.D, Pali)
4	Nitesh Hingonia	On joining	CGST Range-23, Sumerpur (Div.E, Pali)
5	Lokesh Kumar	On joining	Refund/Rebate/TAR/Adj./Law,Div.-I, SGNR with Addl. Charge of CGST Range-38,Rawatsar (Div.-I,SGNR)

उपरोक्त सभी निरीक्षकों को आज दिनांक 25.08.2022 (अपरान्ह) को कार्यमुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे उनके नाम के आगे अंकित कार्यालय में तुरन्त कार्य ग्रहण करें।

यह आदेश आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

  
(धर्मेन्द्र कुमार जवडा)  
मुख्य लेखाधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त आयुक्त (सीसीओ), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर।
2. उप/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर
3. उप/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग, ए.बी.सी-जोधपुर / डी.ई-पाली / एफ-बीकानेर / एच, आइ-श्रीगंगानगर।
4. अधीक्षक (Com Admin)/EMD Manager, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर।
5. वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर व सीमा शुल्क, जयपुर।
6. महासचिव, संबंधित कार्यकारी अधिकारी संघ, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर।
8. निजी प्रति/सेवा पुस्तिका/गार्ड फाईल/नोटिस बोर्ड।
9. अधीक्षक (कम्प्यूटर) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।